दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.12.2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
6.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
8.	डॉ0 (श्रीमती) संगीता पाण्डेय	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 ओंकर नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 (श्रीमती) रिजवाना जमाल	सदस्य
12.	डॉ0 भैरोशंकर उपाध्याय	सदस्य
13.	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	सदस्य
14.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
15.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
16.	प्रो0 आर0के0 पाठक	विशेष आमंत्रित
17.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
18.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता– औषधि संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 यू0पी0सिंह, मु0 राजेन्द्रनगर, पूर्वी, निकट–चिरकुटवा बाबा स्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर, डॉ0 (श्रीमती) रिजवाना जमाल, प्राचार्य, इमामबाड़ा गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, उदित नारायण पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर एवं प्रो0 यू0पी0 सिंह, मु0– राजेन्द्रनगर पूर्वी, निकट–चिरकुटवा बाबा स्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश

दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की—

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 16.09.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 16.09.2016 के कार्यवृत्त को बिन्दु संख्या 22 के क्रम संख्या 12 पर ''विश्वविद्यालय परिसर के सेमेस्टर सिस्टम के परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश—परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की पूर्ण शुल्क मुक्ति'' को जोड़ने के साथ सम्पुष्ट किया।**
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 16.09.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 16.09.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या— 19 में ''माननीय सदस्य श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने इस प्रकरण पर अपनी मौखिकी असहमति दर्ज करायी'' को निरसित करते हुए एवं बिन्दु संख्या 22 (4) के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन में ''निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है'' के स्थान पर ''निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी'' संशोधित करने का निर्णय लेते हुए शेष कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
3.	कार्य परिषद् ने मा0 कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या : ई—9633/जी.एस0 दिनांक 18.10.2016 जो नये कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति हेतु कार्यपरिषद् नामिनी नामित करने पर विचार। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से पद्मश्री प्रो0 पुष्पेश पन्त, आचार्य एवं अधिष्ठाता, स्कूल आफ ला, नार्थ कैप यूनिवर्सिटी,**

	गुड़गाँव (हरियाणा) को नये कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति (Search Committee) में सदस्य के रूप में नामित किया।
4.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई–8841/7–जी0एस0/2016–viii दिनांक 08.11.2016 जो औषधि की आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों की सम्बद्धता से सम्बन्धित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2014 के दिनांक 24.10.2013 से प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में यथा अपेक्षित संशोधन के सम्बन्ध में है, से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
5.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई–10032/जी0एस0/2016–V दिनांक 21.11.2016 जो राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत इन्स्ट्रक्टर्स को प्रवक्ता पदनाम व वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है, से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
6.	डॉ0 अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, इण्डियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली का आवेदन दिनांक 20.09.2016 जो इस विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर पद से टेक्निकल त्याग पत्र देने सम्बन्धी है, पर विचार। **कार्य परिषद् ने डॉ0 अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, इण्डियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली का आवेदन दिनांक 20.09.2016 पर विचार करते हुए, इस विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर पद से टेक्निकल त्याग पत्र को स्वीकार किया।**
7.	कार्यालय आदेश संख्या 9218/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.09.2016 द्वारा डॉ0 पूजा सिंह, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को अलकनन्दा महिला छात्रावास की अधीक्षिका पद पर अगस्त, 2016 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं

	अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
8.	कार्यालय आदेश संख्या 9294/सा0प्र0/2016 दिनांक 17.10.2016 द्वारा डॉ0 (श्रीमती) निधि चतुर्वेदी, आचार्य, इतिहास विभाग को विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथासंशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2016 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
9.	कार्यालय आदेश संख्या 9268/सा0प्र0/2016 दिनांक 08.10.2016 द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में (कनिष्ठ लिपिक के पद पर) 10 कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
10.	कार्यालय आदेश संख्या 9420/साप्र/2016 दिनांक 09.11.2016, जो मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कला संकाय के अस्वस्थ होने की स्थिति में तात्कालिक प्रभाव से डॉ0 श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 02.11.2016 से डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव के पुनः कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, कला संकाय के पद पर नियुक्ति होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
11.	कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत इतिहास, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं प्राणि विज्ञान विभागों में सहायक आचार्य, चरण–2 से चरण–3 ए0जी0पी0 7000 से

8000 में प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.11.2016 से 11.11.2016 तक सम्पन्न हुई स्क्रीनिक समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 09.11.2016, 10.11.2016 एवं 11.11.2016 को निम्नलिखित विषय में चरण दो से चरण तीन हेतु ए0जी0पी0 रू0 7000 से 8000 में प्रोन्नति हेतु की गयी संस्तुति को स्वीकार करते हुए–

(क) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 राम प्यारे मिश्र एवं डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 निशा जायसवाल, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– राजनीति विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

(ग) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 केशव सिंह, डॉ0 विनय सिंह, डॉ0 सुनील कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ0 श्री कृष्ण तिवारी, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

(घ) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मनोज कुमार तिवारी एवं सुधाकर लाल श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

	(ङ) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मधु सत्यदेव, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/- संस्कृत विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600-39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/- में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
12.	कार्य परिषद् ने पेपर लीक प्रकरण पर विभागीय जाँच हेतु गठित समिति की आख्या पर विचार किया। पेपर लीक प्रकरण पर विभागीय जाँच हेतु गठित समिति की आख्या के लिफाफे को खोला गया। जाँच समिति ने अपनी आख्या में लिखा है कि "जाँच से केवल यही साक्ष्य सामने आया है कि उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी मात्र लावरवाही के दोषी हैं और दो मुख्य आरोपी प्रो0 एन0एन0 त्रिपाठी और श्री हरिसिंह रावत सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्हें व्यक्तिगत प्रत्यक्षतः पर्चा आउट करने का दोषी नहीं पाया गया है। अतः इस सतर पर ही यह जाँच समाप्त कर दी जाय। भविष्य में विश्वविद्यालय अधिकारी व कर्मचारीगण इस विषय में सतर्क रहें, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो" पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से पेपर लीक प्रकरण को अन्तिम रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
13.	कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के क्षेत्राधिकार से अलग महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क वापसी पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने तक स्थगित रखा जाय।
14.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया-
1.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक

	14.12.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
2.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) 1973 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) 1973 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी पूर्वानुमति सम्बन्धी संलग्न सूची के महाविद्यालयों को निर्गत आदेश को स्वीकार किया गया।**
3.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9587/सा0प्र0/2016 दिनांक 02.12.2016 द्वारा डॉ0 विजय शंकर वर्मा, आचार्य– गणित एवं सांख्यिकी विभाग का डेलीगेसी के उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल दिनांक 23.12.2016 तक विस्तारित किये सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
4.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9586/सा0प्र0/2016 दिनांक 02.12.2016 द्वारा डॉ0 अवनीश राय, सहयुक्त आचार्य– अंग्रेजी विभाग द्वारा "Text and The Theatre : A Comparative Study of the Selected Plays of Girish Karnad and Mahesh Dattani" विषय पर प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए दिनांक 01.11.2016 से एक वर्ष के लिए विराम अवकाश (Sabbatical Leave) स्वीकृति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
5.	कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की प्रमुख सचिव के पत्र संख्या ई–8708/7–जी0एस0/2015–एम दिनांक 15.11.2016 जो दीनदयाल उपाध्याय

	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नत शिक्षकों को शासनादेश एवं पनिनियमावली के अनुसार उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथोसंशोधित) 1973 की धारा– 31(8)(ए) एवं उसके उपबन्धों के अधीन चयन समिति की संस्तुतियों सम्बन्धी डॉ0 यशवन्त सिंह, सहयुक्त आचार्य की आचार्य पद पर प्रोन्नति बाबत बन्द लिफाफा खोलने पर विचार किया। इस प्रकरण पर कार्यपरिषद् निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवगत हुई– 1. डॉ0 सिंह के प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र सं0 **D.O. No. F-82/2009 (PS)** दिनांक 21.10.2013 के अंश – **Therefore, the Commission has not allowed the University to process the recommendations of the Selection Committee met for the purpose in these cases as the candidature of this candidates have not been considered according to new Regulations 2010.** 2. तत्सम्बन्ध में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.11.2013 के बिन्दु संख्या– 1 (क)(2) डॉ0 यशवन्त सिंह, उपाचार्य–वनस्पतिविज्ञान विभाग, डॉ0 अजय सिंह, उपाचार्य–प्राणिविज्ञान विभाग एवं डॉ0 बदरे आलम अंसारी– प्राणिविज्ञान विभाग के प्रकरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ–3–82/2009(पीएस) दिनांक 21.10.2013 पर विस्तृत विचार–विमर्श कर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सन्दर्भगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शासनादेश दिनांक 31.12.2010 के साथ–साथ विश्वविद्यालय के परिनियम इत्यादि अभिलेख भेजकर प्रकरण में तद्नुसार विचार कर सहमति प्रदान करने का पुनः अनुरोध आयोग से किया जाये। 3. कार्यपरिषद् के निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया, जिससे आयोग ने अपने पत्र सं0 **D.O. No. F-3-82/2009 (PS)** दिनांक 28.04.2014 से स्पष्ट किया कि– "**Any interview held after issuance of these Regulations must be in accordance with the new provision of these Regulations** failing which the UGC will

	constraint to take suitable action against the University according to norms. Hence, you are advised to follow the norms as laid down in Regulations, 2010 for promotion under CAS. तत्पश्चात् राजभवन के पत्र संख्या ई–9015/7–जी0एस0/2015 एम दिनांक 07.10.2015 के अंश – **Therefore, the Commission has not allowed the University to process the recommendations of the Selection Committee met for the purpose in these cases as the candidature of this candidates have not been considered according to new Regulations 2010.** का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय के परिनियम में सम्मिलित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि **डॉ0 यशवन्त सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, जून 2010 के प्रावधानों के अधीन आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु नये सिरे से पी0बी0ए0एस0 आधारित ए0पी0आई0 आख्या पत्र प्राप्त कराते हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त कराये गये आख्या पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।** इस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह, प्रो0 आर0पी0 सिंह एवं प्रो0 गोपाल प्रसाद ने असहमति दर्ज करायी।
6.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 15.12.2016, जो विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के कुछ पदों को ग्रेड पे 1800 के स्थान पर ग्रेड पे 1900 प्रदान करने सम्बन्धी है, पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि इस प्रकरण को वित्त समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष